

इलाहाबाद विकास प्राधिकरण इलाहाबाद

अनुमति-पत्र

गृह निर्माणार्थ अनुमति-पत्र

यह अनुमति केवल च० प्र० नगर नियोजन तथा विकास अधिनियम 1973 की धारा 14 व 15 के अन्तर्गत की जाती है, किन्तु अर्थ यह न समझना चाहिये कि इस भूमि के सम्बन्ध में जिस पर मकान बने इसके किसी प्रकार या किसी स्थानीय निकाय या इसका स्थानीय अधिकारी या व्यक्ति अथवा फर्म के मालिकाना अधिकारों पर किसी का कोई असर पड़ेगा अर्थात् यह अनुमति किसी के मिल्कियत या स्वामित्व के अधिकारों के विरुद्ध कोई प्रभाव न रखेगी।

निम्नलिखित प्रस्तावनों के आधार पर अनुमति दी जाती है कि श्रीमती/श्री 30/110 इलाहाबाद
पिता/पति का नाम श्री श्री. सुनील कुमार सिंह मुहल्ला 17/4/2010 वाड नम्बर 100/100 में नक्शे में

दर्शात स्थान पर जो प्रार्थना-पत्र के साथ प्रस्तुत किये गये हैं, संबंध के चिन्हित भवन चित्र के अनुसार निर्माण अथवा पुनः निर्माण करें।

107/ 17-2 (2100) 17-10
17/4/2010

27/4/10
सचिव
इलाहाबाद विकास प्राधिकरण
इलाहाबाद








नोट :- 1—यह स्वीकृति पत्र केवल पांच वर्ष की अवधि के लिए है। यदि भवन का निर्माण स्वीकृत मानचित्र के अनुसार नहीं किया जाता है तो उसे गिराया जा सकता है। जिसका पूर्ण व्यय भार प्रार्थी पर होगा। यदि कोई इमारत बिना सचिव विकास प्राधिकरण को अनुमति प्राप्त किये निर्माणित अथवा पुनः निर्माणित होगी तो उसके निर्माणकर्ता को दण्ड दिया जायेगा अथवा इस प्रकार की यह अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत दण्डनीय होगा तथा सचिव विकास प्राधिकरण द्वारा हटवा दिया जायेगा और उसके हटाने के खर्च का भार उस इमारत बनवाने वाले से 10 प्रतिशत संग्रह शुल्क के साथ वसूल किया जायेगा।

2—इस अनुमति-पत्र में सड़क, गली या नाली पर नज़र कर प्रावधान जैसे कि पोर्ट का, बारज, तोड़िया, बीड़ी, क्षाप नये अथवा पुराने निर्माण को तोड़कर उस जगह फिर से नये निर्माण का स्वीकृति चाहे उसके साथ सबजे में रिखाई भी हो, नहीं प्रदान की जायेगी।

3—मकान निर्माण से यदि नाशी के सड़क को पटरो अथवा सड़क या नाली के किसी भाग (जो मकान के अगवाड़े पिछवाड़े अथवा उसके आकार के कारण ढक गई हों) को हानि पहुँचे तो गृह स्वामी गृह तैयार हो जाने पर 15 दिन के भीतर अथवा यदि विकास प्राधिकरण ने एक लिखित सूचना द्वारा और कोष्ठ कहा हो पहले ही उसे अपने खर्च से मरम्मत कराकर पूर्णतः अवस्था जिससे विकास प्राधिकरण को सन्तोख हो जाय, में कर देगा।

4—गृह निर्माण के समय इसका भी ध्यान रखना होगा कि भारतीय विद्युत अधिनियम (1956 (इंजिन इंलेक्ट्रिसिटी एक्ट 1965) नियम 82 का उल्लंघन किसी भी दशा में न होना चाहिये। यदि विकास प्राधिकरण की जानकारी में ऐसे मामले पाये गये तो वह ऐसे निर्माण को रोक अथवा हटवा सकता है।

5—प्रार्थी को नियमानुसार विकास प्राधिकरण को भवतन की नींव तक तथा छत तक बन जाने एवं उसके पुर्ण हो जाने की सूचना मकान आगवाड़ होने से पूर्व देना होगा तथा उस आदेशों का नाम भी देना होगा जिसके निरीक्षण में मकान निर्मित हुआ है।



OLD EXISTING PLAN (TO BE DEMOLISHED)
SCALE-1:200

PROJECT
PROPOSED RESIDENTIAL BUILDING PLAN ON PART OF PLOT NO. 83 AND SUB PLOT NO. 1 AT LUKERGANJ, ALLAHABAD

DRG. NO. HMC/PROP-35982/JAN-10
DATE: 10 JAN 10
CHECKED BY: ET MITTLESH KUMAR
DEALT BY: ET MITTLESH KUMAR

OWNER: SRI ANIL KUMAR & CO
SIGNER: LATE HUNDRAJ MAL

SEAL & SIGN OF ENGINEER: [Stamp]

REGISTERED PROFESSIONAL ENGINEER (REG. NO. 10118)
[Stamp]

SITE PLAN

1. 4500 WIDE FRONT SET BACK
2. 4500 WIDE SIDE SET BACK
3. 1800 WIDE FRONT SET BACK
4. 1800 WIDE SIDE SET BACK
5. 4500 WIDE ROAD
6. 4500 WIDE ROAD WIDENING

AREA: 114.00 SQ. M.
TOTAL COVERED AREA: 114.00 SQ. M.
TOTAL UNCOVERED AREA: 114.00 SQ. M.
TOTAL AREA: 228.00 SQ. M.

FOUNDATION DETAIL (SCALE-1:50)

KEY PLAN N.T.S.

PROPOSED COVERED AREA SHOWN THIS PLAN
EXISTING COVERED AREA (TO BE DEMOLISHED) SHOWN THIS PLAN
RAIN WATER PIPE SHOWN THIS PLAN